प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 08.10.2025

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस* द्वारा** मु0अ0सं0 374/2025 धारा 69, 352, 316(2), 351(3) बीएनएस व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V, 3(2)Va एससी/एसटी एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता पवन कुमार पाण्डेय पुत्र शंकर शरण पाण्डेय निवासी अतरी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को हरदी तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 07.10.2025 को थाना बखिरा पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, वादिनी को जातिसूचक गालियां देने तथा वादिनी को बहलाफुसलाकर 80,000रु0 ले लेने और वापस न करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रमेश चन्द्र, हे0का0 अजय कुमार सिंह, का0 जितेश कुमार ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 228 वाहनों से 247,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 08.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 228 वाहनों से 247,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 920/2025 धारा 115(2),105,352 बीएनएस मे वांछित अभियुक्त नाम पता रामकेश उर्फ कृष्णा पुत्र रामसुग्रीव निवासी पाल टोला नन्दापुर थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती को आज दिनाँक 08.10.2025 को रेलवे स्टेशन माल गोदाम के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादिनी के पुत्र को जान से मारने के सम्बन्ध में दिनाँक 07.10.2025 को प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसके उपरान्त थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनाँक 08.10.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्रा राकेश कुमार, का0 जनार्दन प्रसाद, का0 राजू गोंड, का0 योगेन्द्र यादव।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे 02 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक का कारावास व कुल 7000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 08.10.2025 को मा0न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम जनपद संतकबीरनगर द्वारा मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तो को न्यायालय उठने तक के कारावास व कुल 7000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित।

विवरणः-

मु0अ0सं0 13/2006 धारा 323/325/504/506 भादवि थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01-पधरा उर्फ श्यामसुन्दर पुत्र प्यारे, 02- हरिश्चन्द्र पुत्र छोटेलाल निवासीगण सिक्टौर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा वादी श्री भोले सिंह पुत्र बसन्त सिंह को मारपीट, गाली-गलौज करने के संबंध मे दिनाँक 13.07.2006 को थाना मेंहदावल पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। दोषसिद्ध अभियुक्तो को धारा-323 भादवि में 500/- रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का सादा कारावास, धारा-325 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2000/-रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का सादा कारावास, धारा-504 भादवि में 500/-रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का सादा कारावास, धारा-506 भादवि में 500/-रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर एक माह का सादा कारावास से भुगतना होगा।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के क्रम में थाना बेलहरकला पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा बालिका को 04 घण्टे में किया गया बरामद

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने व महिलाओं की सुरक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के पर्यवेक्षण में ***थाना बेलहरकला पुलिस*** द्वारा कार्यवाही करते हुए गुमशुदा बालिका का नाम पता सोनी उम्र करीब 04 वर्ष पुत्री सुरसती देवी निवासी सप्तीनानकार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर नगर को थाना बेलहरकला क्षेत्रान्तर्गत गोइठहा बाजार के पास से सकुशल बरामद करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

घटना का विवरण - आज दिनाँक 08.10.2025 को थाना बेलहरकला पर सुरसती देवी पत्नी बगेदन निवासी सप्तीनानकार थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर नगर द्वारा सूचना दिया कि मेरी पुत्री गोईठहा बाजार में कहीं खो गयी है, काफी तलाश किया पर कहीं पता नहीं चल रहा है। उक्त सूचना के आधार पर थाना बेलहरकला पुलिस व थाना पर गठित एंटीरोमियो टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उक्त बालिका को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया। परिजनों ने बेलहरकला पुलिस व थाना पर गठित एंटीरोमियो टीम द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी व परिजनो द्वारा आभार जताया गया।

बरामद करने वाली पुलिस टीम- प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला श्री अनिल कुमार, उ0नि0 श्री राधेश्याम, का0 संतोष चौहान, म0का0 कोमल देवी।